कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिये जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन के लिए वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिसके लिए दिनाँक 01.07.2017 दिन शनिवार समय सायं 4:00 बजे नीलामी की कार्यवाही किये जाने हेतु नियत है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाज़िर से प्राप्त की जा सकती है।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
23.05.17

कार्यालय— जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

इश्तहार नीलामी चाय कैन्टीन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय हाथरस में स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि को चाय कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2017—2018 के लिए वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है। उपराक्त ठेके की नीलामी हेतु दिनाँक 01.07.2017 दिन शनिवार को सायं 4:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी की समस्त शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी के लिये केन्द्रीय नाजिर से जानकारी ली जा सकती है।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :—

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू० 20,000/—(बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
04. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
05. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा।
06. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
08. ठेकेदारों को नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, यदि उसके द्वारा ठेके की शर्तों का पालन न करते हुये समस्त धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर नीलामी की कार्यवाही पुनः की जायेगी।
09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
23.05.17

प्रतिलिपि—

01. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
05 मुनादी कराये जाने हेतु।
06 समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।
07. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
23.05.17

कार्यालय– जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

चाय कैन्टीन की नीलामी की आवश्यक शर्तें :–

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि रू० 20,000/–(बीस हजार) रूपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
03. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
04. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
05. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा।
06. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा।
08. ठेकेदारों को नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, यदि उसके द्वारा ठेके की शर्तो का पालन न करते हुये समस्त धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर नीलामी की कार्यवाही पुनः की जायेगी।
09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी।

(अल्ला रक्खें खाँ)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
हाथरस।
23·05·17